झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय (बजट)-सत्र

वर्ग- 01

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक-12 फाल्गुन,1941(श0) .....को 02 मार्च, 2020 (ई0) झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे।

क्रमांक	विभागों को भेजी गयी सं0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1-	2.	3.	4.	5.	6.
01.	अ0सू0-03	श्री बंधु तिर्की	लंबित पड़े बिल बिल का भुगतान कराना।	योजना सह वित्त विभाग	22.02.20
02.	अ0सू0-02	श्री मनीष जायसवाल	रिक्त पदों को भरना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.02.20
03.	अ0सू0-10	श्री अनन्त कुमार ओझा	अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा	23.02.20
04.	अ0सू0-01	श्री राज सिन्हा	पूराना पेंशन स्कीम का लाभ दिलाना।	योजना सह वित्त विभाग	19.02.20
05.	अ0सू0-11	श्री बिरंची नारायण	ट्रेजरी ब्लॉक हटाना।	योजना सह वित्त विभाग	23.02.20
06.	अ0सू0-14	श्री मनीष जायसवाल	रिक्त पदों पर नियुक्ति करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा	24.02.20
07.	अ0सू0-13	श्री कमलेश कुमार सिंह	जपला को जिला बनाना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा	24.02.20

08. अ0सू0-12	श्री बिरंची नारायण	झारखण्ड राज्य लोक सेवा परिधान का गठन करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	23.02.20
09. अ0सू0-04	श्री बंधु तिर्की	पूंजीगत खर्च का आवंटन बढ़ाना।	योजना सह वित्त विभाग	22.02.20
10. अ0सू0-08	श्री प्रदीप यादव	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	23.02.20
11. अ0सू0-09	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टॉन	तुमांग पंचायत को मैक्लुस्कीगंज थाना में सम्मिलित कराना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	23.02.20
12. अ0सू0-05	श्री समीर कुमार महान्ती	आंदोलनकारियों के भत्ता पर संवेदनशीलता से विचार करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.02.20

....

राँची,
दिनांक- 02 मार्च, 2020 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक सं0- झा0वि0स0 प्रश्न- 02/2020....402..../वि0स0, राँची, दिनांक- 27/02/2020
प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/ मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

(सरोज कुमार)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक सं0- झा0वि0स0 प्रश्न- 02/2020....402..../वि0स0, राँची, दिनांक- 27/02/2020
प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक, आप्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक सं0- झा0वि0स0 प्रश्न- 02/2020....402..../वि0स0, राँची, दिनांक- 27/02/2020
प्रति :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

27/02

(01)

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा चलते/ अगामी अधिवेशन में दिनांक 02.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 03 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के कोषागारों में 600 करोड रूपये से अधिक के बिल लंबित पडे हैं, जिससे राज्य में विकास कार्य ठप्प हो गया है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोषागारों में लंबित पडे बिल का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्त विभागीय पत्रांक 496/वि. दिनांक 19.02.2020 द्वारा भुगतान पर लगाये गये स्थगन आदेश को वापस ले लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि०स० (4)–03/20......111/वि०प्र० राँची/दिनांक 27.2.2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञाप सं. प्र. 187/वि०स०, दिनांक 22.02.2020 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.02.2020

(अविनाश कुमार सिंह)
अपर सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची।

02

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में उच्च पुरूष कक्षपाल का कुल–233 पद, पुरूष कक्षपाल का कुल–1345 पद, महिला कक्षपाल का कुल–23 पद, जेल अधीक्षक का कुल–11 पद, सहायक जेलर का कुल–51 पद, जेलर का कुल–27 पद सहित जेलों में सफाईकर्मी का कुल–172 पद और वाहन चालक के कुल–85 पदों के अतिरिक्त नाई का 42 पद, लिपिक का–24 पद, वीडियो कांफ्रेंसिंग ऑपरेटरों के कुल–30 पद, के साथ–साथ कम्प्यूटर ऑपरेटर, पुरूष एवं महिला नर्स का भी कतीपय पद रिक्त है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पदो के रिक्त होने के कारण सभी जिलों में कैदियों के रख–रखाव सहित जेलों के संचालन में संबंधित कार्यरत पदाधिकारियों को आये दिन अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सभी रिक्त पदों पर आगामी वित्तीय वर्ष में नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	Para Medical Staff के 85 रिक्त पदों पर नियुक्ति माह सितम्बर, 2019 में की गई है निम्न पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है– (1) JSSC के द्वारा 85 चालक के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण (वाहन चालन जांच) में है। (2) JPSC के द्वारा काराधीक्षक के 04 रिक्त पदों पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु परीक्षा की तिथि दिनांक–12.04.2020 निर्धारित की गई है। (3) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–8358, दिनांक–16.10.2019 द्वारा कक्षपाल के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु कक्षपाल पुरूष–772 पद, कक्षपाल पुरूष (होमगार्ड से)–328 पद, कक्षपाल पुरूष (भूतपूर्व सैनिक से)–131 पद एवं कक्षपाल पुरूष (बैगलॉग) नियुक्ति हेतु 82 पदों की अधियाचना JSSC को भेजी गयी है। (4) गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–3727, दिनांक–17.07.2019 द्वारा कक्षपाल के खूलकूद कोटा से भरे जाने वाले 27 पदों की अधियाचना पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजी गयी है। (5) काराधीक्षक, कारापाल, सहायक कारापाल, मुख्य उच्च कक्षपाल एवं उच्च कक्षपाल के रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है। इसकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–01/2020–1087/ राँची, दिनांक–01/03/2020ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–179, दिनांक–22.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

07

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में निवास कर रहे (खासकर साहेबगंज जिला) "नामशूद्र अथवा नमोशूद्र" जाति का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा रहन–सहन अनुसूचित जनजाति के समतुल्य है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित जाति को भारत के दूसरे राज्यों यथा पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश में भी "अनुसूचित जनजाति" का दर्जा दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित जाति को वर्तमान में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं होने से उनके जीवन–स्तर में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से ह्रास हो रहा है ;	अस्वीकारात्मक। नामशूद्र जाति झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 45 पर तथा झारखण्ड राज्य के लिए पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची के क्रमांक 85 पर सूचीबद्ध है। तद्नुसार नामशूद्र जाति को राज्य में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अनुमान्य है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित जाति को रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, झारखण्ड, राँची से शोध कराकर विस्तृत प्रतिवेदन अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने हेतु अविलम्ब केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसके अनुसार "नमःशूद्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्टतः कहा जा सकता है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।"

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–04/2020 का0–1531/रांची, दिनांक 27-2-2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–199 वि0स0, दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुनीत 27/2/2020
(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

07

श्री राज सिन्हा, स०वि०स० द्वारा दिनाक 02.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं० –01 की उत्तर सामग्री :–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि 2004 ई० से पूर्व अधिसूचित एवं नियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को पुराने पेंशन स्कीम के तहत सभी सुविधा देने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में 2004 ई० के पूर्व 2003 में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में नियुक्त कर्मचारियों को G.P.F एवं पुराना पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा है;	स्वीकारात्मक । दिनांक 01.12.2004 या इसके बाद नियुक्त कर्मियों का G.P.F एवं पुराना पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा है ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 2004 ई० के पूर्व विज्ञापन के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी को उक्त लाभ देने चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य सरकार के पास इस संबंध में वर्त्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

—::—

ज्ञापांक :– 10/वि०स०(4)–01/2020 ..... 113/वि०स० रॉंची दिनांक 27.2.2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

27/2/2020

(अखिलेश कुमार वाजपेयी)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

(05)

श्री विरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा चलते/ अगामी अधिवेशन में दिनांक 02.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 11 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि दिनांक 24.12.2019 से मुख्य सचिव, झारखण्ड के द्वारा समस्त ट्रेजरी से सभी विकास कार्यों और योजनाओं से जुड़े भुगतान पर नई सरकार के गठन तक रोक लगायी थी ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। मुख्य सचिव के पत्रांक 3359 दिनांक 24.12.2019 द्वारा नई सरकार के विधिवत गठन होने तक सिविल निर्माण कार्यों से संबंधित किसी भी अग्रिम अथवा अन्य प्रकार के भुगतान को कुछ अवधि के लिए स्थगित रखा गया था।
(2.) क्या यह बात सही है कि दिनांक 29.12.2019 को नई सरकार के गठन के उपरांत भी आज तक उक्त भुगतान पर रोक है और एक्स.एम.एल. ब्लॉक है, जिससे राज्य के विकास योजनाएँ बुरी तरह से प्रभावित हो रही है।	अस्वीकारात्मक। वित्त विभागीय पत्रांक 3359 दिनांक 24.12.2019, पत्रांक 100/वि. दिनांक 10.01.2020 से लगाये गये स्थगन आदेश को पत्रांक 496/वि. दिनांक 19.02.2020 के द्वारा वापस ले लिया गया है।
(3.) क्या यह बात सही है कि दिनांक 10.01.2020 को भी विभाग के पदाधिकारी द्वारा उक्त भुगतान न करने संबंधी पत्र निर्गत किया है जो आज तक प्रभावी है।	अस्वीकारात्मक, यथा कंडिका–2
(4.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में अविलम्ब राज्य के विकास योजनाओं से संबंधित लंबित भुगतान हेतु झारखण्ड के ट्रेजरियों के ब्लॉक को हटाते हुए सेवकों को भुगतान सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त के आलोक में अब कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि•स• (4)–02/20.....112/वि.प. रांची/दिनांक 27.7.2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची के ज्ञाप सं. प्र. 188/वि०स०, दिनांक 23.02.2020 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.02.2020
(अविनाश कुमार सिंह)
अपर सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग,
झारखण्ड, रांची।

(07)

माननीय स०वि०स० श्री कमलेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक 02.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–13 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला मुख्यालय, मेदिनीनगर से जपला की दूरी 81 कि०मी०, हरिहरगंज की दूरी 75 कि०मी० तथा छत्तरपुर की दूरी 50 कि०मी० है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद अनुमंडल मुख्यालय जपला जिला बनने की सभी अहर्त्ता को पूरा करता है;	अस्वीकारात्मक। जिला/अनुमण्डल सृजन के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त एवं संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त से अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में नये जिले/अनुमण्डल के सृजन के बिन्दु पर निर्णय लिया जाता है। हुसैनाबाद एवं छत्तरपुर अनुमण्डल को मिलाकर 'जपला' को जिला बनाने के संबंध में संबंधित उपायुक्त एवं प्रमंडलीय आयुक्त से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में पलामू जिला के दो अनुमंडल हुसैनाबाद व छत्तरपुर को मिलाकर 'जपला' को जिला बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब–तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/ज्ञा०वि०स०–15–01/2020 का.–1610/राँची, दिनांक– 28.2.2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–267 दिनांक–24.02.2020 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एच० के० सुधांशु)
सरकार के अवर सचिव।

(08)

श्री विरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–12 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 10 के तहत अब तक झारखण्ड में झारखण्ड राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 का लाभ झारखण्ड राज्य लोक सेवा परिदान आयोग के न होने से झारखण्ड के नागरिकों को प्राप्त नहीं हो रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि अब तक उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपीलीय पदाधिकारी और द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी द्वारा किसी भी पदाधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है;	अस्वीकारात्मक। अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ससमय सेवा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित आवेदक के द्वारा उल्लिखित अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील किया जाना है। तदुपरान्त ही अपीलीय प्राधिकार के द्वारा इस पर सम्यक् कार्रवाई किया जाना वांछित है।
4.	क्या यह बात सही है कि धारा 10 के अंतर्गत किसी कार्यरत आयोग को भी इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में धारा 10 के अनुसार झारखण्ड राज्य लोक सेवा परिधान आयोग का गठन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अधिनियम की संगत धारा–10 के अन्तर्गत आयोग का गठन बाध्यकारी प्रावधान के अधीन नहीं रखा गया है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–16/वि0स0प्र0–08–01/2020 का0 1541 /राँची, दिनांक 27-2-2020

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के ज्ञाप सं0–200 वि0स0, दिनांक–22.02.2020 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री चन्द्र भूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सुनीत 27/2/2020

(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

(9)

श्री बंधु तिर्की, स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–04 का उत्तर ।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के वार्षिक बजट में कुल खर्च के अनुपात में पूंजीगत खर्च 33 प्रतिशत था, जो चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक बजट में घटाकर मात्र 23 प्रतिशत रह गया है ?	अस्वीकारात्मक । वित्तीय वर्ष 2015–16 के कुल बजट में राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का अनुपात 78 प्रतिशत एवं 22 प्रतिशत था तथा योजना व्यय में राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का अनुपात 70 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत था । इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल बजट का राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का अनुपात 77 प्रतिशत एवं 23 प्रतिशत था तथा Scheme (Plan) का बजट में राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का अनुपात 70 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत था ।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार बजट में पूंजीगत खर्च के मद में आवंटन बढ़ाने का विचार रखती है हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	लागू नहीं ।

	2019-20		2015-16	
Total Expenditure	85,429.00	प्रतिशत	55,492.95	प्रतिशत
Revenue	65,803.00	77.02 या 77	43343.24	78
Capital	19,626.00	22.98 या 23	12,149.71	22

Budget	2019-20		2015-16	
Scheme (Plan)	52,283.63	प्रतिशत	32,136.84	प्रतिशत
Revenue	36,657.15	70.11 या 70	22,356.04	69.57 या 70
Capital	15,626.48	29.89 या 30	9780.80	30.43 या 30

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10 / वि०स०(4)–06 / 2020 / 115/वि०स० रॉंची, दिनांक : 28/02/20

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉंची के ज्ञापांक–186 / वि०स०, दिनांक–22.02.2020 के सन्दर्भ में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.02.2020

(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव,
योजना सह वित्त विभाग,
झारखण्ड, रॉंची ।

(20)

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अप्रैल, 2011 से अक्टूबर, 2012 तक झारखण्ड के 514 युवकों को नौकरी की झासा देकर फर्जी नक्सली बतलाकर कोबरा बटालियन के माध्यम से सरेंडर कराया गया था ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। फर्जी सरेंडर कराने की योजना थी, परन्तु यह सफल नहीं हो सकी।
2	क्या यह बात सही है कि इन निर्दोष नौजवानों को एक साल तक जेल में बंद रखा गया था ;	अस्वीकारात्मक। पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इन नौजवानों को पुराना जेल परिसर सम्प्रति बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क में रखा गया था। वहा के सभी खुले परिसर में रहते थे और बाहर आना–जाना भी करते थे। कुछ दिनों तक वहाँ रहने के पश्चात वे धीरे धीरे वहाँ से निकलते चले गये एवं पुनः वापस नहीं आये।
3	क्या यह बात सही है कि अब तक इन नौजवानों को ना ही न्याय मिला और ना ही दोषियों पर कार्रवाई हुई है ;	दोषियों के विरूद्ध लोअर बाजार थाना काड सं०–77 / 14, दिनांक–28.03.2014, धारा–406 / 420 / 120(बी०) भा०द०वि० दर्ज है। अनुसंधानोपरांत धारा–406 / 419 / 420 / 120(बी०) भा०द०वि० के अंतर्गत पाँच अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। वर्त्तमान में मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–14 / वि०स०–01 / 2020–1089 / राँची, दिनांक– 01 / 03 / 2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–191, दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

(11)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के खलारी प्रखण्ड अन्तर्गत तुमांग पंचायत की दूरी खलारी थाना से 06 किलोमीटर है जबकि मैक्लुस्कीगंज थाना मात्र 03 किलोमीटर पर स्थित है ;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु तुमांग पंचायत को मैक्लुस्कीगंज थाना में सम्मिलित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राँची जिला के तुमांग पंचायत को खलारी थाना के क्षेत्राधिकार से हटाकर मैक्लुस्कीगंज थाना में सम्मलित करने के संबंध में आयुक्त, द० छोटानागपुर प्रमंडल, राँची से अनुशंसा प्राप्त हुई है। इस पर पुलिस महानिदेशक से मंतव्य एवं अनुशंसा सहित प्रस्ताव की मांग की गयी है, जो अप्राप्त है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–06 / 2020– 1082 राँची, दिनांक–29/02/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–190, दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री समीर कुमार महान्ती, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड आंदोलनकारियों को जो भत्ता दिया जाता है वह नगण्य है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड आंदोलनकारियों को वर्ष–2000 से भत्ता नहीं दी जा रही है, जबकि राज्य का विभाजन वर्ष 2000 में हुआ है ;	स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं०–2108, दिनांक–07.05.2012 की कंडिका–3(क) के तहत वर्गीकृत आन्दोलनकारियों को दिनांक–01.08.2015 के प्रभाव से सम्मान पेंशन दी जा रही है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड आंदोलनकारियों में संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आन्दोलनकारियों के लिए स्वीकृत राशि का भुगतान भूतलक्षी प्रभाव यथा 15.11.2000 से देने का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–901/2020–1078/ राँची, दिनांक–29/02/2020ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–185, दिनांक–22.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/20
सरकार के संयुक्त सचिव।